fcgkj ty lj{kk ,o flpkbl vk/kfudhdj.k ifj;ktuk (BWSIMP) d vrxr r;kj fd; x, i;koj.k vkj lkekftd çca/ku r= (ESMF) dk dk;dkjh lkjk'k

1. बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना (बी०डब्लू०एस०आई०एम०पी०- P505190), का उद्देश्य बहु–क्षेत्रीय निवेशों का एकीकृत उपयोग कर जल शासन (जल संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने और नीतियों को लागू करने के लिए निर्मित तंत्र) में आवश्यक महत्वपूर्ण परिवर्तन / बदलाव (ट्रांसफॉर्मेशन) के माध्यम से राज्य में सिचाईं एवं बाढ़ के जोखिम के नयूनीकरण हेतु सहायता प्रदान करना है। इस परियोजना के “विकास का ध्येय (PDO)” बिहार में सिंचाई सेवाओं में सुधार लाना और बाढ़ से निपटने/उबरने की क्षमता को बढ़ाना है। परियोजना के PDO की प्राप्ति हेतु, आवश्यक संस्थागत सुधार को लागू करने के प्रयासों को “प्रदर्शन आधारित शर्तों (परफॉरमेन्स बेस्ड कंडीशन्स)” को पूरा करने से सहायता मिलेगी। राज्य की समस्त आबादी इस परियोजनान्तर्गत क्रियान्वयित होने वाले संस्थागत और गैर–संरचनात्मक गतिविधियों से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी, जबकि 12 जिलों[1] के 72 प्रखंडों के संभवतः लगभग 43.40 लाख लोग परियोजनान्तर्गत कराये जाने वाले संरचनात्मक अवयवों के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। कुल पाँच घटको /अवयवों वाली यह योजना इंवेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग (IPF) के अंतर्गत संचालित होंगी। कुल ऋण की राशि में से 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यय, चार PBCs जो 10 sub–PBCs में विभक्त है, के क्रियान्वयन में किया जाएगा।

2. इस पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन तंत्र (ई०एस०एम०एफ०) के गठन का उद्देश्य, परियोजना के विभिन्न घटकों और गतिविधियों के क्रियान्वयन के क्रम में होने वाले संभावित पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों और जोखिमों के प्रकार और उनके पैमाने का आकलन कर, पूर्व चिन्हित तथा अनेपक्षित पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों और प्रभावों को परियोजना गठन के समय, परियोजना के रूपांकण में आवश्यक बदलाव और / या इसके क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में आवश्यक अतिरिक्त शमन उपायों तथा उपकरणों का उपयोग कर इनके प्रभावों को न्यूनीकृत करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन देना है।

3. इस ई०एस०एम०एफ० के गठन हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली में परियोजना दस्तावेजों और बिहार के जल संसाधन क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक लेख/दस्तावेजों की समीक्षा, स्थल–भ्रमण (Field Visits), विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें तथा परामर्श, प्रस्तावित गतिविधियों के अनुरूप जोखिमों का चिन्हण एवं सूक्ष्म मानचित्रण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी०पी०आर०) में उपलब्ध प्रारूपिक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलनों के निष्कर्षों को आधार बनाया गया है।

4. ESMF का प्रारंभ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की पर्यावरण एवं सामाजिक विनिमय की प्रासंगिक नीतियों और विनियमों तथा विश्व बैंक के पर्यावरण और सामाजिक तंत्र (ESF) का मानचित्रण करते हुए होता है, ताकि परियोजनान्तर्गत क्रियान्वित कराये जाने वाले संरचनात्मक कार्यों के दौरान/उपरान्त उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन मिल सके। परियोजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार और बिहार सरकार (GoB) द्वारा लागू संबंधित दिशा–निर्देशों और विनियमों द्वारा ही संचालित होगा। ESMF में संरक्षण, जैव विविधता, प्रदूषण, संसाधन प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, सुरक्षा आदि से सम्बंधित पर्यावरणीय कानून/विधान शामिल हैं। समावेशन, श्रम कल्याण, लैंगिक मुद्दे, भूमि प्रबंधन, पुनर्वास, नागरिक

---

[1] सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन से लाभान्वित होने वाले जिले: – सहरसा, सुपौल, दरभंगा, बक्सर, गोपालगंज, सारण, कैमूर, मधुबनी और रोहतास। बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन से लाभान्वित होने वाले जिले: – दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, कटिहार।

सहभागिता, नागरिक अधिकार, शासन आदि से सम्बंधित सामाजिक विधानों/कानूनों का भी समावेश ESMF में है।

5. ESMF बिहार की पर्यावरणीय आधाररेखा का व्यापक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जिसमें प्राकृतिक भूगोल, भू–जलविज्ञान, जलवायु, मृदा और जल संसाधनों जैसे पहलू शामिल हैं। पूर्वी भारत में स्थित बिहार की भू–रचना विविधतापूर्ण है, जिसमें अति–प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से लेकर नवीनतम जलोढ़ अवसादों तक विस्तृत रूप से शामिल है जिनमें प्रचुर मात्रा में भूजल उपलब्ध है। राज्य की जलवायु आर्द्र उप–उष्णकटिबंधीय है, जिसमें वर्ष में अधिकतर वर्षा दक्षिण–पश्चिम मानसून के दौरान होती है। बिहार की मिट्टी विविध प्रकार की है, जो अनेक प्रकार के फसलों के उत्पादन में सहायक है। कृषि राज्य की एक प्रमुख गतिविधि है, जिसमें राज्य की लगभग 76% आबादी लगी है और बाढ़, कटाव, सूखे तथा भूजल गुणवत्ता जैसी चुनौतियों का निरंतर सामना करती है।

6. बिहार की कुल जनसंख्या 130.7 मिलियन[2] है (*स्रोत: बिहार जाति सर्वेक्षण, 2023*), जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 918 महिलाओं का है। बिहार में औसत परिवार का आकार लगभग छह सदस्यों का है, तथा 7.4% परिवार की मुखिया, महिलाएं (woman headed) हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की धार्मिक संरचना दर्शाती है कि यहाँ 83% आबादी हिंदू है, जबकि 17% मुस्लिम हैं। बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15.9% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या काफी कम, सिर्फ 1.3% है। बिहार में विकलांग व्यक्तियों का भी उल्लेखनीय प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय कुल का 8.69% है। बिहार की श्रम शक्ति में 34,724,987 श्रमिक शामिल हैं, जिनमें से बड़ी संख्या (90%) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं (*स्रोत: जनगणना 2011*)। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, जिसका वर्ष 2021 के आँकड़ों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान 24% है, जबकि उद्योग का 15%, और सेवाओं का 61% योगदान है। राज्य की 26.59% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह 36.95% है (*स्रोत: नीति आयोग, 2023*)। बिहार राज्य में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा (VAWG) की दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, बिहार में 61% विवाहित और 23% अविवाहित महिलाएं कभी न कभी शारीरिक एवं यौन हिंसा द्वारा प्रताड़ित हुई हैं।

7. जल संसाधन विभाग (WRD), बिहार के अंतर्गत बाढ़ प्रमंडल एवं सिंचाई प्रमंडल, परियोजना की मुख्य कार्यान्वयन ईकाइयों के रूप में कार्य करेगी । WRD में एक "परियोजना प्रबंधन इकाई" (पी०एम०यू०) स्थापित किया गया है, जहाँ परियोजना निदेशक पदस्थापित हैं । वहीं एक पर्यावरण विशेषज्ञ तथा एक सामाजिक विशेषज्ञ की सेवाएँ भी ली गयी है। परियोजनान्तर्गत "परियोजना प्रबंधन तकनीकी सलाहकार" (पी०एम०टी०सी०) फर्म की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जो मुख्यरूपेण पी०एम०यू० को तकनीकी, संस्थागत और अनुश्रवण संबंधी कार्यों में विशिष्ट सहयोग प्रदान करेगा। पूर्व निर्धारित संदर्भ–शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेन्स) के आधार पर पी०एम०टी०सी० में एक पर्यावरण विशेषज्ञ और एक सामाजिक विशेषज्ञ की सेवाएँ ली जानी है। परियोजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु (i) कृषि विभाग, (ii) ग्रामीण विकास विभाग और (iii) जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को PIUs के रूप में नामित किया गया है। जल संसाधन विभाग की लगभग 158 कार्य प्रमंडलों में से लगभग 20 कार्य प्रमंडलों को परियोजना क्रियान्वयन इकाई के रूप में शामिल किये जाने की संभावना है। प्रत्येक पी०आई०यू० में E&S (पर्यावरण एवं सामाजिक) फोकल प्वाइंट

[2] भारत की जनगणना, भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036, जुलाई 2020, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

नामित किए जाएंगे। परियोजना जिलों में जिला/ अंचल कार्यालयों एवं क्षेत्रीय स्तर के PIU कार्यालयों के कर्मियों से नामित कर्मियों को मिलाकर जिला परियोजना टीम (DPTs) का गठन करेंगे। DPTs संबंधित पी०आई०यू० के नोडल अधिकारियों को प्रतिवेदित करेंगे एवं सभी आवश्यक क्षेत्र स्तरीय जानकारी प्रदान करेंगे। पी०आई०यू० में E&S (पर्यावरण एवं सामाजिक) हेतु नामित फोकल प्वाइंट, पी०एम०यू० के E&S विशेषज्ञों के साथ कार्य करेंगे। परियोजना की तैयारी के दौरान विश्व बैंक की टीम द्वारा सभी सम्बंधित कार्य प्रमंडलों की टीम और पी०एम०यू० की टीम को निरंतर रूप से सहयोग प्रदान किया गया है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण हेतु तैयार की गयी रणनीति एवं योजना में पी०एम०यू० और पी०आई०यू० टीम, पी०एम०टी०सी० स्टाफ, ठेकेदार एवं उसके कर्मचारियों, जल उपयोगकर्ता समितियों तथा अन्य हितधारकों के लिए E&S संबंधी क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण का क्रियाकलाप शामिल किया गया हैं।

8. परियोजना के ''पर्यावरणीय जोखिम'' को प्रस्तावित निर्माण की प्रकृति, अपेक्षित अपशिष्ट की मात्रा, "संवेदनशील आवासो" पर संघात तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओ०एच०एस०) और सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (सी०एच०एस०) से जुड़े पर्याप्त/अत्यधिक मुद्दों के कारण ''बहुत अधिक'' (Substantial) की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यद्दपि वर्तमान परियोजना घटक अंतर्गत प्रस्तावित कार्य केवल मौजूदा संरचनाओं (जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाली सरकारी भूमि पर अवस्थित) तक ही सीमित है, परन्तु क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में यह पाया गया है कि कुछ बाँधों और नहरों के किनारे जहाँ नवीनीकरण/पुनर्स्थापना का कार्य प्रस्तावित है, वहाँ आवास, जीविकोपार्जन, खेती और चराई के लिए गैर–स्वामित्वधारी अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण मौजूद हैं । इन कारणों से परियोजना के सामाजिक जोखिम की रेटिंग को भी बहुत अधिक/"अत्यधिक" (Substantial) की श्रेणी में ही रखा गया है। परियोजनान्तर्गत संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम के प्रबंधन हेतु तंत्र/साधन विकसित किये गए हैं जो ई०एस०एम०एफ० में विस्तार से वर्णित है।

ifj;kstuk pØ e lEefyr çfØ;k,	i;kZoj.k vkSj lkekftd ¼bå ,o ,lå½ çcU/ku ,o vuqJo.k dh gqr fodflr r=@lk/ku
1. <u>व्यवहार्यता/संभाव्यता (FEASIBILITY)</u> • सिंचाई क्षमता (IPC & IPU) (सिंचाई क्षमता, सृजित एवं उपयोगित सिंचाई क्षमता) • नहर प्रणाली का जीवनकाल/उपयोगीकाल • बाढ़–प्रवण क्षेत्र • सूखा–प्रवण क्षेत्र	<u>E&S स्क्रीनिंग चेकलिस्ट</u> – PMU के पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञ द्वारा भर कर समर्पित की जाएगी। बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना (BWSIMP) के सम्पूर्ण मार्गदर्शन हेतु पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन तंत्र (ESMF), पुनर्वास नीति तंत्र (RPF), हितधारक सहभागिता योजना (SEP), श्रम प्रबंधन योजना (LMP) तैयार किए जाएंगे।
2. <u>क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा परियोजनान्तर्गत योजनाओं की तैयारी</u> • प्राथमिकता निर्धारण हेतु संवेदनशील हिस्सों (Vulnerable Reaches) की पहचान • नहर संरचना को हुए नुकसान • योजनाओं का चयन	इन गतिविधियों के क्रियान्वयन में संभावित पर्यावरणीय एवं सामयिक जोखिमों के प्रभावों की तीव्रता/स्तर के आधार पर इनका पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA) योजना के क्रियान्वयन के पूर्व कराया जायेगा।
3. <u>समीक्षा और अनुमोदन</u>	

• सम्बंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता का दायित्व योजना की तकनीकी समीक्षा एवं अनुमोदन तथा योजना को अनुशंसित कर PMU को भेजना होगा। • परियोजना समन्वयक (Project Coordinator) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।	परियोजनान्तर्गत पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन योजना सहित) तैयार किया जाना। ESIA (ESMP सहित) DPR में सम्मिलित किया जाना। तैयार किये जाने वाले विशेष शमन (*Specialized Mitigation Measures*) के उपाय: RAP, OHS योजना, GBV योजना, डॉल्फिन कार्यक्रम।
4. <u>विस्तृत डिजाइन</u> <u>(DETAILED DESIGN)</u> • सर्वेक्षण और DPR तैयार करना • DPR की समीक्षा • DPR का अनुमोदन	
5. <u>निविदा प्रक्रिया</u> <u>(TENDERING)</u> • PMTC द्वारा Bid Document तैयार किया जाना • निविदा मूल्यांकन और अनुबंध	ठेकेदार ESMP (C-ESMP), बीड दस्तावेजों में शामिल होगा, जिसमें ठेकेदार की E & S जिम्मेदारियाँ, अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग तथा संविदात्मक उपाय शामिल हैं।
6. कार्यान्वयन (IMPLEMENTATION)	C-ESMP के विरुद्ध रिपोर्टिंग। RAP के विरुद्ध रिपोर्टिंग। सहमत विशिष्ट शमन उपायों के विरुद्ध रिपोर्टिंग।
7. रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण (Reporting & Monitoring)	

9. एक प्रारूप "हितधारक सहभागिता योजना" (SEP) में हितधारकों की एक व्यापक रूप–रेखा, प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव/विचार–विमर्श की रणनीति और अनुश्रवण तंत्र की व्याख्या शामिल हैं। यह अभिलेख/दस्तावेज निम्न उद्देश्यों की पूर्ति पर केंद्रित है:-
   (i) सूचना प्रसार और जन–धारणाओं के प्रबंधन के लिए एक मजबूत संचार रणनीति ।
   (ii) परियोजना रूपांकण और कार्यान्वयन के दौरान सभी लाभार्थियों के साथ सुव्यवस्थित दो–तरफा संवाद और
   (iii) एक सक्षम एवं उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र (GRM), [जो सभी हितधारकों की पहुँच में/ सर्वसुलभ हों और यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार तथा लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassment) के मुद्दों सहित गंभीरता से कार्य करे] ।

परियोजना के निर्माण और निर्माणोंपरान्त संचालन के दौरान प्रत्येक/हर एक परिवारों और समुदायों को पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के बारे में समय पर सूचित किया जाएगा। चूंकि परियोजना अंतिम मील/अंतिम पड़ाव तक सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, इसलिए Tail-end किसानों की शिकायतों का संज्ञान लेकर उनका समयबद्ध समाधान करने वाला एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली (GRM) सृजित करना, न केवल समावेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि संपूर्ण सिंचाई प्रणाली की वास्तिविक क्षमता का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी होगा। इस GRM के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन–अभियान चलाना, परियोजनान्तर्गत अपनाई गई एक प्रमुख हितधारक सहभागिता रणनीति होगी। नहरों में जल छोड़ने की समय–सारणी के साथ–साथ बाढ़ चेतावनियों के बारे में सरल, ससमय और अग्रिम सूचना/चेतावनी किसानों को बेहतर योजना बनाने में सहायक होगी।ई०एस०एम०एफ० में संधारित SEP मजबूत हितधारक भागीदारी के माध्यम से जल शासन में सुधार के उपायों की अनुशंसा करता है। सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पार्टीसिपैट्रि इरीगेशन मैनेजमेंट) के लिए जल उपभोक्ता सगठनों (WUAs) को मजबूत किया जाएगा ताकि वे विभाग के पदाधिकारियों/ कर्मियों, नागरिक नेताओं, जनप्रतिनिधियों, सेवा प्रदाताओं, जल उपभोक्ताओं (किसानों

सहित) तथा कमजोर एवं महिला समूहों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर सकें। SEP में मजबूत GRM के लिए विस्तृत रूपरेखा भी वर्णित है। "परिणाम तंत्र" (Results Framework), लाभार्थियों की संतुष्टि तथा GRM के प्रदर्शन (विशेषकर कमजोर समूहों तक उसकी पहुँच) की निगरानी/अनुश्रवण करने में सहायक होगी।

10. परियोजना में असैनिक कार्यों के लिए संवेदकों द्वारा अनुबंधित तथा स्वतंत्र दोनों ही कोटियों के श्रमिकों को नियोजित किया जायेगा जबकि अंतिम छोर (लास्ट माइल) तक फील्ड चैनलों को पूरा करने के लिए गैर–अभियंत्रणीय छोटे कार्यों हेतु सामुदायिक श्रमिकों (स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से) का उपयोग किया जाएगा। ठेकेदार सामान्यतः स्थानीय श्रमिकों को नियोजित करेगा किन्तु अधिक संख्या बल की आवश्यकता व कौशल स्तर के आधार पर प्रवासी श्रमिकों को भी ला सकता है। श्रमिकों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य की प्रकृति/उनकी सेवा शर्तें, पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दे (ओ०एच०एस०), श्रमिक आचार संहिता तथा श्रमिक शिकायत निवारण प्रणाली भारत के श्रम संबंधी कोड और कानून से आच्छादित होंगे। परियोजना का श्रम प्रबंधन प्रक्रिया (एल० एम० पी०), जो इस ई०एस०एम०एफ० का हिस्सा है, में व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओ०एच०एस०) से जुड़े मुद्दे, सभी श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित आचार संहिता श्रमिकों की आवासन प्रक्रिया तथा श्रमिक शिविरों में उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम व्यवस्थाओं की कोटी/मानक तथा उनकी सतत् निगरानी हेतु आवश्यक तंत्र शामिल होंगे। परियोजना के श्रमिकों से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र (जी०आर०एम०) भी होगा, जिसमें यौन उत्पीड़न से जुड़े मुद्दे भी शामिल रहेंगे । उक्त शिकायत निवारण तंत्र सभी के लिए सुलभ होगा।

11. परियोजना में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओ०एच०एस०) से संबंधित प्रतिकूल जोखिमों का स्तर "मध्यम" हैं । व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता 2020, के साथ–साथ ड्राफ्ट व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम–काजी स्थितियाँ (बिहार) नियम, 2021, इन गतिविधियों के दौरान श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करता है। नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था के साथ हीं सुरक्षा समितियाँ गठित करना है और दुर्घटनाओं की सूचना संबंधित अधिकारियों को आवश्यक रूप से दी जानी है। ठेकेदारों को एक कार्यस्थल अनुरूप व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना तैयार कर इसे लागू करना होगा, जिसमें समुदाय से समन्वय, श्रमिक आचार संहिता का अनुपालन और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पी०पी०ई०) किट उपलब्ध कराने की सुविधा जैसे उपाय शामिल होंगे । इसके अतिरिक्त सम्बंधित ठेकेदार, श्रमिकों को सुरक्षा प्रक्रियाओं से सम्बंधित प्रशिक्षण प्रदान करने, प्राथमिक उपचार किट की उपलब्धता एवं उसके रख–रखाव तथा संभावित जोखिम के न्यूनीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

12. तटबंधों और नहरों के कुछ हिस्सों पर आवासन, जीविका, खेती और चराई के लिए अतिक्रमण मौजूद होने के कारण स्थायी पुनर्वास संबंधी प्रभाव संभव हैं। जिसके लिए पुनर्वास सहायता प्रदान की जानी होगी। "पुनर्वास नीति तंत्र" (आर०पी०एफ०) जो ई०एस०एम०एफ० का एक हिस्सा है, परियोजना से आच्छादित सिंचाई/बाढ़रोधी संरचनाओं पर काबिज समुदायों, जिसमें गैर–मालिकाना हकधारी भी शामिल हैं, को भौतिक पुनर्स्थापन के आर्थिक दुष्प्रभावों से बचाव, शमन और प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन करेगी। प्रारूप आर०पी०एफ० में हकदारी के विकल्प (एंटाइटलमेंट ऑप्शंस) निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक उप–परियोजना के लिए पुनर्वास कार्ययोजना (RAP) बनाने और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रियाएँ उल्लेखित की गई हैं। RAP अनौपचारिक निवासियों/अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास को सुगम बनाने हेतु उनके अधिकारों और मिलने वाली सहायता का विवरण प्रदान करेंगे।

13. परियोजना की किसी भी गतिविधि का प्रभाव संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या बाघ गलियारों (Tiger Corridors) पर नहीं पड़ता है। उप–परियोजनाएँ मुख्यतः परिवर्तित प्राकृतिक आवास स्थलों (Modified Habitats) में स्थित है। हालाँकि, उत्तर बिहार का नदी तंत्र कोसी और बागमती नदी सहित विभिन्न प्रजातियों यथा– घड़ियाल, मगर, मछलियाँ और गांगेय कछुओं का आवास है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कराए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कोसी और बागमती नदियाँ लुप्तप्राय गांगेय डॉल्फिनों के महत्वपूर्ण आवास हैं। इसके साथ हीं कोसी, गंडक और घाघरा नदियों के कुछ हिस्सों को इन डॉल्फिनों के लिए "संवेदनशील क्षेत्र" (Critical Areas) के रूप में चिह्नित किया गया है, जो नेपाल की नदी प्रणालियों और गंगा नदी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं जो एक जीवनरक्षक डॉल्फिन आबादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

14. इस परियोजना के तहत डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर बिहार की कोसी और बागमती नदियों में डॉल्फिन आवासों का संरक्षण करना है, जो भारत और नेपाल के बीच डॉल्फिन आबादी की कड़ी को बनाए रखने के लिए निर्णायक हैं। परियोजनान्तर्गत, निर्माण संबंधी प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और जलीय जीवों की रक्षा करने हेतु विशेष उपाय ई०एस०एम०एफ० में शामिल किये गए हैं।

15. BWSIMP परियोजना अंतर्गत तैयार किया गया ESMF, परियोजना के प्रत्येक चरण में प्रमुख हितधारकों के लिए आवश्यक पर्यावरणीय एवं सामाजिक (E&S) क्षमता–विकास कार्यक्रमों / गतिविधियों की एक संकेतात्मक सूची प्रदान करता है। साथ ही यह पूरी परियोजना अवधि में प्रतिवेदन और निगरानी/ अनुश्रवण हेतु एक तंत्र भी उपलब्ध कराता है। पर्यावरण एवं सामाजिक प्रतिबद्धता योजना (ESCP) प्रतिवेदनों की श्रेणी, समयानुसार क्रमबद्धता एवं प्रतिवेदी के उत्तदायित्वों को निर्धारित करती है।

XXXXXXXXXX